



वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम- 873

**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 100 दि. 04.05.2018


आदेश

विषय:-कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवदनों के निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि बढ़ाने के सदर्भ में।

कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि हेतु योजना आदेश संख्या वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-858 दिनांक 13.03.2018 द्वारा प्रसारित की गई थी जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर नियमित कराने की अवधि दिनांक 30.04.2018 तक निश्चित की गई थी। इस योजना की अवधि को दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-858 के अनुसार ही रहेगी।

आज्ञा से


4/5/2018

अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01